Govt.of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120

E-mail: fdpnp.pna@mp.gov.in Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाइगर रिजर्व

क्रमांक/तकनीकी/2025/ 2276 पन्ना, दिनांक- 13/10/2025

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग सागर संभाग सागर (म0प्र0)

विषय :- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफरजोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण (Falling in the Southern & Western Portion of Panna Tiger Reserve) हेतु 44.05 (12.15 हेक्टेयर of existing carriageway) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर को उपयोग पर देने बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्र. FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/2418 दिनांक 24.09.2025

--00--

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग निर्माण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। उक्त योजना में दुगने विगड़े वनक्षेत्र अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई थी, जिसमें रोपण योजना की कुल राशि **2,26,71,812/-** होती है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 से निर्धारित की गई एन.पी.व्ही. की दर Class-III अनुसार Open Forest Area 31.90 हे0 की एन.पी.व्ही. राशि **3,05,53,182/-** होती है। प्रस्तावित मार्ग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. (A) 9 के पालन में मार्ग के किनारे-किनारे रोपण योजना तैयार की जानी थी। अतः मार्ग के किनारे-किनारे रोपण योजना की कुल व्यय राशि **82,76,167/-** होती है।

अतः प्राप्त निर्देशानुसार समस्त राशियॉ कैम्पा मद में जमा कराते हुये सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त क्र. (A) 7 के पालन में noise barrier system/crash barrier system लगाने हेतु किये गये स्थल निरीक्षण क्षेत्र का जियो रिफरेंस मैप एवं रकवा तथा के.एम.एल. फाईल सहित चिन्हित कर **शर्तवार, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के साथ-साथ योजना अंतर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के दौरान यदि स्वीकृत वृक्षारोपण योजना वर्ष 2023 में लगाई गई दर से अतिरिक्त राशि व्यय होने की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक संस्थान जमा करने हेतु वचनवद्ध रहेगा, इस आश्य का प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड करते हुये इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित किये जाने का कष्ट करें।** ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सकें।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

पृ0क्र0/तकनीकी/2025/2277 पन्ना, दिनांक 13/10/2025

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

Scanned with CamScanner